संख्या- 61/2025/678/छप्पन-2025-01/2016

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2025

विषय: जनपद अलीगढ़ स्थित धनीपुर हवाई पट्टी विस्तारीकरण में बाधक विद्युत् तंत्र की धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 33/आर0सी0एस0-2025-बी-2/2023 दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या 1749/हवाई पट्टी/2024-25 दिनांक 12.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के क्रम में जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी विस्तारीकरण में बाधक विद्युत तंत्र की शिफ्टिंग हेतु आगणन लागत रू0 11,62,81,971/- (ग्यारह करोड़ बासठ लाख इक्यासी हज़ार नौ सौ इकहत्तर मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी विस्तारीकरण में बाधक विद्युत तंत्र की शिफ्टिंग हेतु आगणित धनराशि रू0 11,62,81,971/- (ग्यारह करोड़ बासठ लाख इक्यासी हज़ार नौ सौ इकहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 11,62,81,971/- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।
5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
12) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 11,62,81,971/- (ग्यारह करोड़ बासठ लाख इक्यासी हज़ार नौ सौ इकहत्तर मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-16/दस-2025-26, दिनांक 13 जून, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 61/2025/678/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।

3- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

5- जिलाधिकारी, अलीगढ़।

6- मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई(वितरण), उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अलीगढ़।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/ ऊर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।